पत्रांक–3/स्था0 पदस्थापन–09/2017– (3)/रा0,

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

विवेक कुमार सिंह,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

फैक्स/ई–मेल

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–...............................

विषय – **विभागीय अधिसूचना सं0–301/28.06.2016, अधिसूचना सं0–302/28.06.2016, अधिसूचना सं0–303/28.06.2016, अधिसूचना सं0–304/28.06.2016, अधिसूचना सं0–306/29.06.2016, अधिसूचना सं0–311/30.06.2016 के द्वारा स्थानान्तरित पदाधिकारियों को बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये विरमित करने के संबंध में।**

प्रसंग– **विभागीय पत्रांक–321, दिनांक–04.07.2017, पत्रांक–342, दिनांक–13.07.2017 एवं पत्रांक–385, दिनांक–04.08.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की विभिन्न अधिसूचनाओं के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं, अंचल अधिकारियों एवं समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन किया गया था। विभागीय प्रासंगिक पत्रों के द्वारा आपको स्पष्ट निदेश दिया गया था कि प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरित पदाधिकारियों को अपने नव पदस्थापन से संबंधित कार्यालयों का प्रभार ग्रहण करने हेतु विरमित कर दें। विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक सभी स्थानान्तरित पदाधिकारियों को विरमित नहीं किया गया है। स्पष्ट है कि स्थानान्तरित पदाधिकारियों के द्वारा वैसे कार्यालय से वेतन प्राप्त करना अनियमित है, जहां से उनका स्थानान्तरण किया जा चुका है, साथ ही राजस्व अधिनियमों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उनके द्वारा प्रयोग किया जाना भी सही नहीं है।

अनुरोध है कि विभागीय उपर्युक्त अधिसूचनाओं के द्वारा स्थानान्तरित पदाधिकारियों को आदेश प्राप्ति के साथ ही विरमित करना सुनिश्चित करें। स्थानान्तरित सभी पदाधिकारी दिनांक– 11.08.2017 के प्रभाव से स्वतः विरमित समझे जायेंगे, जिस तिथि के पश्चात् उनके द्वारा यदि कोई कार्य सम्पादित किया जाता है, तो उसे अवैध मानते हुए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– (3)/रा0, पटना–15 दिनांक–

फैक्स/ई–मेल

प्रतिलिपि–सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि स्थानान्तरित पदाधिकारियों को अविलम्ब विरमित करने का आदेश अपने स्तर से सभी जिला पदाधिकारियों को दिये जाने की कृपा की जाय।

ह0/–
(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :– 403– (3)/रा0, पटना–15 दिनांक– 09-08-17

फैक्स/ई–मेल

प्रतिलिपि–सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव।